

प्रेषक,

हरमिन्दर राज सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

उत्तर एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 30, जुलाई, 2009

विषय: विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किया जाना।

महोदय,

1. शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक कृपया मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-2057/3-7-09-25(सा)/09, दिनांक 30 जून, 2009 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के अधीन कराये जाने वाले ऐसे कार्यों, जिनकी लागत रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तक है, के सम्पादन हेतु किये जाने वाली निविदाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कुल कार्यों में 21 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति तथा 02 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के ठेकेदारों को आरक्षण दिया जाय तथा इन कार्यों हेतु नियमानुसार आमंत्रित की जाने वाली निविदायें उक्त आरक्षित वर्ग के ठेकेदारों से प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान की जाय।
3. कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0 / -  
(हरमिन्दर राज सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे अपने वेबसाइट पर अप-लोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करें तथा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जन सामान्य हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

भवदीय,

ह0 / -  
(एच0पी0 सिंह)  
अनु सचिव